UPMZ010005342025

न्यायालय सेशन न्यायाधीश, मुजफ्फरनगर

पीठासीन अधिकारी– डॉ. अजय कुमार–द्वितीय, उच्चतर न्यायिक सेवा–यू.पी.6535

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 361 सन 2025

पुनीत नन्दा पुत्र जितेन्द्र कुमार
निवासी कोठी नम्बर 1088 सैक्टर–8सी
चंडीगढ़।

–आवेदक/अभियुक्त

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

–अभियोजन पक्ष

अपराध संख्या–296 सन 2024
धारा– 420, 406, 504, 506
भारतीय न्याय संहिता
थाना–शाहपुर
जनपद–मुजफ्फरनगर

24.01.2025

1. आवेदक/अभियुक्त उपरोक्त, अपराध संख्या–296 सन 2024 धारा–420, 406, 504, 506 भारतीय न्याय संहिता, थाना–शाहपुर, जनपद मुजफ्फरनगर के संबंध में अभिरक्षा में है, की ओर से उसे जमानत पर रिहा किये जाने हेतु यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. अभियोजन कथानक अनुसार, वादी मुकदमा रविन्द्र कुमार द्वारा दिनांक 11.09.2024 को थाना शाहपुर पर प्राथमिकी इस आशय की दर्ज करायी गयी कि, वर्ष 2017 में वादी मुकदमा कुछ खेती की जमीन खरीदना चाहता था। इसी मध्य पुनीत नन्दा से मुलाकात हुई। पुनीत नन्दा ने बताया कि, आन्ध्र प्रदेश में जिला अनन्तपुर नया जिला सत्यसाईं तहसील कदरी व उसके आसपास में उसने भी जमीन खरीद की हुई है। जमीन का बैनामा कराने की जिम्मेदारी पुनीत ने अपनी बतायी। उसने यह भी बताया कि, वह मैसर्स कलर्स बिल्ड टैक प्राईवेट लि. का डायरेक्टर है। उसकी कंपनी वादी मुकदमा की भूमि को दस वर्ष के लिये लीज पर ले लेगी तथा उसे प्रत्येक माह 9,375/– रूपये प्रति एकड अदा करेगी व भूमि को खेती योग्य बनायेगी, जिसमें बाग लगाकर आधुनिक तरीकों का इस्तमाल करके फलों का उत्पादन करेगा, जिसे बेचकर वह स्वयं भी लाभ कमायेगा और एक एकड़ की फसल के बदले प्रतिमाह

Digitally signed by Dr. Ajay Kumar II
Date: 2025.01.24 16:40:20 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

9,375/– रूपये की दर से उसे भुगतान करेगा। वादी मुकदमा ने पुनीत नन्दा की बातों में आकर अपने गाँव की जमीन बेचकर दिनांक 26.02.2017 को पाँच लाख रूपये नकद, दिनांक 09.11.2017 को बीस लाख रूपये चैक के माध्यम से, माह सितम्बर 2018 में नौ लाख रूपये चैक के माध्यम से, सितम्बर 2018 में ही चार लाख पचास हजार रूपये चैक के माध्यम से, माह अक्टूबर 2018 में दो लाख रूपये चैक के माध्यम से, माह जुलाई 2018 में एक लाख पचास हजार रूपये चैक के माध्यम से, दिनांक 26.09.2018 को दो लाख रूपये नकद पुनीत नन्दा को दिये। पुनीत नन्दा ने विश्वास बनाये रखने के लिये दिनांक 31.10.2017 को डेढ एकड़ भूमि का बैनामा, भूमि की कीमत व खर्चा 5,57,725/–रूपये दिनांक 05.06.2018 को वादी मुकदमा के नाम व 3.53 एकड़ भूमि का बैनामा भूमि की कीमत व खर्चा 4,56,600/– रूपये दिनांक 07.06.2018 को वादी मुकदमा के नाम कर दिये। वादी मुकदमा ने पुनीत नन्दा के झांसे में आकर अंकन 44 लाख रूपये नकद व चैक के माध्यम से दिये, जिनमें से कुल 9.37 एकड़ भूमि की कुल कीमत 13,99,925/– रूपये हुए तथा बाकी 30,00,075/– रूपये डवलपमेन्ट चार्ज, जिसमें बाग लगाना भी शामिल था। वादी मुकदमा को विश्वास में लेने के लिये पुनीत नन्दा, श्वेता नन्दा व सन्नी ने वादी मुकदमा व कलर्स बिल्ड टैंक प्राईवेट लि. दिल्ली के बीच एक पार्टनरशिप डीड स्वयं को उक्त कंपनी का डायरेक्टर बताते हुए तैयार करायी, जबकि पुनीत नन्दा इस बात को अच्छी तरह से जानता था, कि उपरोक्त कंपनी वर्षो पहले बंद हो चुकी है और वह इस समय कंपनी का डायरेक्टर नहीं है, परंतु फिर भी पुनीत नन्दा ने एक राय मश्वरा करके धोखाधड़ी करने की गरज से एक दूसरे का साथ देते हुए पार्टनरशिप डीड तैयार करके उस पर अपने हस्ताक्षर किये। पुनीत नन्दा व उसके साथियों व रिश्तेदारों ने वादी मुकदमा पर विश्वास बनाये रखने के लिये पार्टनरशिप डीड के अनुसार 4,375/– रूपये प्रति एकड के हिसाब से कुल 7 एकड खाली जमीन का पेमेन्ट भी किया, परंतु उसके बाद पेमेन्ट करना बंद कर दिया। वादी मुकदमा ने तहसील रोद्दम, नालामाडा व तहसील कदरी जिला सत्यसाई आन्ध्र प्रदेश में जाकर जानकारी की, तो पता चला कि, वादी मुकदमा के साथ पुनीत नन्दा व उसके अन्य साथियों ने मिलकर धोखाधडी करते हुए उससे 44 लाख रूपये, जो डवलपमेन्ट व बाग तैयार करने के लिये लिये थे, उसकी एवज में कोई बागवानी नहीं की और न ही डवलपमेन्ट किया तथा जमीन को खाली छोड़कर वहाँ से भाग गया। जब वादी मुकदमा ने फोन पर संपर्क कर पुनीत नन्दा से अपने रूपये माँगे, तो

उसने कहा कि, उसके जो रूपये हड़पने थे, हड़प लिये हैं, उससे जो होता हो वह कर लेना और यदि रूपये माँगने या संपर्क करने की कोशिश की, तो गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी।

3. आवेदक/अभियुक्त की ओर से उसके विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि आवेदक/अभियुक्त निर्दोष है। उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है। उसे रंजिश के कारण इस मामले में फँसाया गया है। यह भी तर्क दिया गया है कि, मामले का घटना स्थल आन्ध्र प्रदेश राज्य में होने से तथा विवेचनाधिकारी द्वारा विवेचना के अंतिम स्तर तक घटना स्थल को ही सुनिश्चित न कर पाने के कारण मामला न्यायालय की स्थानीय क्षेत्राधिकारिता से बाहर है। तत्पश्चात विवेचना तथा बयान वादी मुकदमा व उसके खाते में आयी रकम आदि को प्रथम दृष्टया देखने से ही मामला सिविल प्रकृति का है। विवेचनाधिकारी द्वारा आन्ध्र प्रदेश में जाकर कोई विवेचना नहीं की गयी है। प्राथमिकी दर्ज होने के दस दिन बाद दिनांक 21.09.2024 को वादी मुकदमा व उसके साथी अमित कुमार का बयान दर्ज किया गया है। विवेचक द्वारा अपराध में न्याय संबंधी साक्ष्य ग्रहण करने के लिये कोई विडियोग्राफी नहीं बनायी गयी है। आवेदक/अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। वह दिनांक 23.09.2024 से जिला कारागार में निरूद्व है। जमानत पर रिहा करने की याचना की गयी। आवेदक/अभियुक्त की ओर से अपने तर्को के समर्थन में माननीय उच्चतम न्यायालय की विधि व्यवस्था मनोज कुमार शर्मा एवं अन्य प्रति स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ एवं एक अन्य, 2016 ए.आई.ए.आर. (क्रि.) 1006 सुप्रीम कोर्ट, टी.टी. एन्ऑनी प्रति स्टेट ऑफ केरला एवं अन्य, 2001 क्रि.एल.जे. 3329, दांडिक अपील संख्या 317 सन 2008 एस.के. अलघ प्रति स्टेट ऑफ यू.पी. एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांकित 15.02.2008, दांडिक अपील संख्या 908 सन 2009 हरमानप्रीत सिह अहलूवालिया एवं अन्य प्रति स्टेट ऑफ पंजाब एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांकित 05.05.2009 पर विश्वास व्यक्त किया गया है।

4. उत्तर प्रदेश राज्य की तरफ से उपस्थित विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता दांडिक द्वारा जमानत का पुरजोर विरोध किया गया तथा तर्क दिया गया कि आवेदक/अभियुक्त के विरूद्व गंभीर प्रकृति का आरोप है। जमानत निरस्त किये जाने की माँग की गयी।

5. जमानत प्रार्थना पत्र पर आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता के तर्क एवं उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता दांडिक के

तर्क सुने तथा साथ ही अभियोजन की ओर से सम्यक रूप से प्रस्तुत केस डायरी व अन्य पुलिस प्रपत्रों का अवलोकन किया।

6. अभियोजन कथानक के अनुसार आवेदक/अभियुक्त पर यह आरोप है कि, उसके द्वारा स्वयं को मैसर्स कलर्स बिल्ड टैक प्राईवेट लि. का डायरेक्टर बताते हुए वादी मुकदमा की भूमि को दस वर्ष के लिये लीज पर लेने तथा वादी मुकदमा को प्रत्येक माह 9,375/–रूपये प्रति एकड अदा करने व भूमि को खेती योग्य बनाकर उसमें बाग लगाकर आधुनिक तरीकों का इस्तमाल करके फलों का उत्पादन करने की बात कहकर धोखाधड़ी करते हुए वादी मुकदमा से 44 लाख रूपये हड़प लिये। विवेचक ने आन्ध्र प्रदेश में पंजीकृत बैनामों की प्रतियाँ, प्राप्त कर केस डायरी का भाग बनायी हैं, जिनके अनुसार आवेदक/अभियुक्त ने वादी मुकदमा के नाम से बैनामें अंकन 11,23,999/– रूपये बतौर क्रेता निष्पादित करवाये हैं, जिन पर यद्यपि क्रेता का नाम रविन्द्र कुमार है, परंतु क्रेमा रविन्द्र कुमार का पुनीत नन्दा आवेदक/अभियुक्त प्रतिनिधित्व कर रहा है और उसका ही फोटो, हस्ताक्षर व अंगूठा निशानी लगा है, जो उस पर लगाये गये आरोपों की प्रथम दृष्टया पुष्टि करता है। अभियुक्त के विरूद्व यह भी आरोप है कि, वादी मुकदमा द्वारा अपने रूपये वापिस माँगे तो उसके साथ गाली गलौज की व जान से मारने की धमकी दी। कथित रूपये आवेदक/अभियुक्त को चैक के माध्यम से व नकदी दिये गये हैं। विवेचक द्वारा विवेचना के दौरान वादी मुकदमा के बैंक स्टेटमैन्ट को विवेचना का भाग बनाया गया है, जिसमें अभियुक्त की कंपनी में रूपयों का ट्रांजक्शन होना दर्शित होता है। वादी मुकदमा रविन्द्र कुमार व साक्षीगण अमित कुमार तथा उदयवीर के द्वारा अभियोजन कथानक का समर्थन किया गया है। कारित अपराध एक संगठित आर्थिक श्रेणी का अपराध दर्शित होता है। आवेदक/अभियुक्त प्राथमिकी में नामित है। अतः समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों व अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए, गुण दोष पर कोई टिप्पणी किये बिना, आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का पर्याप्त आधार नहीं पाया जाता है। जहाँ तक आवेदक/अभियुक्त की ओर से संदर्भित माननीय उच्चतम न्यायालय की विधि व्यवस्थाओं का प्रश्न है, माननीय न्यायालय की विधि व्यवस्थाओं में संदर्भित मामले दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 व डिस्चार्ज से संबधित हैं, जो इस जमानत प्रार्थना पत्र के पूर्णतया भिन्न तथ्यों व परिस्थितियों में आवेदक/अभियुक्त की कोई मदद नहीं करती है।

आदेश

तदनुसार अभियुक्त **पुनीत नन्दा पुत्र जितेन्द्र कुमार** की ओर से प्रस्तुत नियमित जमानत प्रार्थना पत्र **निरस्त** किया जाता है।

(डॉ. अजय कुमार–द्वितीय)
सेशन न्यायाधीश,
मुजफ्फरनगर

दिनांक : 24.01.2025